



झारखण्ड गजट

असाधारण अंक

झारखण्ड सरकार द्वारा प्रकाशित

संख्या 198 राँची, गुरुवार,

6 फाल्गुन, 1937 (श०)

25 फरवरी, 2016 (ई०)

विधि विभाग

अधिसूचना

24 फरवरी, 2016

एस० ओ०-०५-राँची, दिनांक 24 फरवरी, 2016 राज्य सरकार, झारखण्ड उच्च न्यायालय के मुख्य न्यायाधीश के परामर्श से विधिक सेवा प्राधिकार अधिनियम, 1987 (1987 का सं 39) के धारा 28 (1) व (2) सप्ठित धारा 6 (5) तथा 6 (1), धारा 8 (क) तथा (5) तथा (6) धारा 9 (5) तथा (6) धारा 11 क (3) तथा (4) द्वारा प्रदत शक्तियों का प्रयोग करते हुए झारखण्ड राज्य विधिक सेवा प्राधिकार के अधिकारियों एवं कर्मचारियों की सेवा के शर्तों, भर्ती से संबंधित एतद् द्वारा निम्नलिखित नियमावली बनाती है, जिसमें-

(1) संक्षिप्त नाम एवं प्रारम्भः-

- (1) यह नियमावली "झारखण्ड राज्य विधिक सेवा प्राधिकार विधिक सेवा समिति/अधिकारी एवं कर्मचारी (भर्ती, सेवाशर्त, प्रोन्नति) नियमावली, 2016" कही जायेगी।
- (2) यह विधिक सेवा के स्थापना के सभी अधिकारियों (गैर-न्यायिक) एवं कर्मचारियों पर लागू होगी।
- (3) यह राजकीय गजट में प्रकाशन की तिथि से प्रवृत्त होगा।

(2) इस नियमावली में, जबतक कि सन्दर्भ से अन्यथा अपेक्षित न हो:-

- (क) 'अधिनियम' से अभिप्रेत है विधिक सेवा प्राधिकार अधिनियम 1987 (1987 का सं 39)

- (ख) 'मुख्य संरक्षक' (पैट्रन-इन-चीफ) से अभिप्रेत है झारखण्ड उच्च न्यायालय के मुख्य-न्यायाधीश।
- (ग) 'विधिक सेवा प्राधिकार' से अभिप्रेत है अधिनियम की धारा 6 (1), 9 (1) एवं 11 ए के अधीन गठित राज्य विधिक सेवा प्राधिकार, जिला विधिक सेवा प्राधिकार एवं अनुमंडल विधिक सेवा समिति।
- (घ) 'कार्यकारी अध्यक्ष' से अभिप्रेत है, अधिनियम की धारा 6 (2) (बी) के प्रावधानों के अधीन राज्यपाल द्वारा नामित राज्य प्राधिकार के कार्यकारी अध्यक्ष।
- (च) 'विधिक सेवा समिति' से अभिप्रेत है, अधिनियम की धारा 8 ए के अधीन राज्य प्राधिकार द्वारा गठित उच्च न्यायालय विधिक सेवा समिति (एच सी एल एस सी)।
- (छ) 'अध्यक्ष एच सी एल एस सी' से अभिप्रेत है, अधिनियम की धारा 8 ए (2) के अधीन उच्च न्यायालय के मुख्य न्यायाधीश द्वारा नामित उच्च न्यायालय विधिक सेवा समिति के अध्यक्ष।
- (ज) 'जिला प्राधिकार' से अभिप्रेत है, अधिनियम की धारा 9 के अधीन गठित जिला विधिक सेवा प्राधिकार।
- (झ) 'अनुमंडल समिति' से अभिप्रेत है अधिनियम की धारा 11 ए के अधीन गठित अनुमंडल विधिक सेवा समिति।
- (ट) 'अधिकारी' से अभिप्रेत है, राज्य प्राधिकार, उच्च न्यायालय विधिक सेवा समिति, जिला प्राधिकार अथवा अनुमंडल समिति के अधिकारी जो इस नियमावली के प्रारम्भ होने के पहले से पदधारी हैं अथवा वैसे अधिकारी जो इस नियमावली के अधीन अथवा अधिनियम के अधीन नियुक्त हों।
- (ठ) 'कर्मचारी' से अभिप्रेत है, राज्य प्राधिकार, उच्च न्यायालय विधिक सेवा समिति, जिला प्राधिकार अथवा अनुमंडल समिति के कर्मचारी, जो इस नियमावली के प्रारम्भ होने के पूर्व से पदधारी हैं अथवा वैसे कर्मचारी जो इस नियमावली के अधीन अथवा अधिनियम के अधीन नियुक्त हों।
- (ड) 'अनुसूची' से अभिप्रेत है, इस नियमावली में अनुसूची के रूप में संलग्न।
- (ढ) 'निर्धारित' से अभिप्रेत है उच्च न्यायालय के मुख्य न्यायाधीश के परामर्श से राज्य प्राधिकार द्वारा निर्धारित।
- (3) विधिक सेवा का स्थापना एवं उसके कर्मचारीगण

झारखण्ड राज्य में विधिक सेवा प्रतिष्ठान से आशय है एवं इनमें शामिल है:-

झारखण्ड राज्य विधिक सेवा प्राधिकार,
उच्च न्यायालय विधिक सेवा समिति,
सभी जिला विधिक सेवा प्राधिकार,

सभी अनुमंडल विधिक सेवा समिति एवं इन सबों के लिए सेवाओं के वर्गीकरण, विभिन्न श्रेणियों के पद एवं उनसे सम्बंधित वेतनादि जिन्हे इस नियमावली से सम्बद्ध अनुसूची में दर्शाया गया है।

(4) स्थापना के कर्मचारीगण:

- (1) राज्य प्राधिकार, उच्च न्यायालय विधिक सेवा समिति, जिला प्राधिकार स्थायी लोक अदालत सहित तथा अनुमंडल विधिक सेवा समिति में दैनिक कार्य के लिए उतने ही अधिकारीगण एवं कर्मचारीगण होंगे जितना कि इस नियमावली के अनुसूची में सलंगन हैं।

राज्य सरकार, उच्च न्यायालय के मुख्य न्यायाधीश के अनुमोदनोपरान्त समय-समय पर स्थापना के किसी कोटियों अथवा श्रेणियों में अधिक अथवा अतिरिक्त पद, स्थायी/नियमित आधार अथवा अस्थायी अथवा संविदा के आधार पर अथवा अन्यथा बढ़ते हुए कार्यभार को निबटाने के लिए सृजन कर सकेगा।

5. अधिकारियों एवं कर्मचारियों की नियुक्ति

झारखण्ड राज्य में विधिक सेवा प्रतिष्ठान में अधिकारियों एवं कर्मचारियों की नियुक्ति निम्नवत होगी ।:-

1. सीधी भर्ती द्वारा, अथवा
2. पदोन्नति द्वारा, अथवा
3. प्रतिनियुक्ति द्वारा

6. नियुक्ति प्राधिकारी का अर्थ है

- (1) राज्य प्राधिकार के वर्ग II (गैर न्यायिक) के अधिकारियों, वर्ग III तथा वर्ग IV श्रेणी के कर्मचारियों के संदर्भ में राज्य प्राधिकार।
- (2) एच सी एल सी के वर्ग III तथा वर्ग IV श्रेणी के कर्मचारियों के संदर्भ में उच्च न्यायालय विधिक सेवा समिति।(3)
- (3) स्थायी लोक अदालत, जिला प्राधिकार एवं अनुमंडल विधिक सेवा समिति की स्थापना में वर्ग III एवं IV श्रेणी के कर्मचारियों के संबंध में जिला प्राधिकार, राज्य प्राधिकार के परामर्श से।

7. स्थापना के अधिकारियों एवं कर्मचारियों के वेतन, भत्ते एवं अन्य हकदारी

- (1) राज्य प्राधिकार तथा उच्च न्यायालय विधिक सेवा समिति के स्थापना के राजपत्रित अधिकारियों (गैर-न्यायिक), वर्ग तृतीय तथा वर्ग चतुर्थ श्रेणी के कर्मचारियों के सभी संबंधित मामलों यथा वेतन, भत्ते, सुविधाएँ, पेंशन, हितों, हकदारियों तथा सेवा निवृति की उम्र, राज्य सचिवालय के अधिकारियों एवं कर्मचारियों के लिए लागू झारखण्ड सेवा संहिता, नियमावली, आदेश, परिपत्र एवं निर्देश से शासित होगी।

बशर्ते कि, यह नियमावली, आदेश, परिपत्र अथवा निर्देश, चाहे जैसे भी, वैसे परिवर्तन, भिन्नता अथवा अपवादों, जैसा कि राज्य प्राधिकार, उच्च न्यायालय के मुख्य न्यायाधीश के परामर्श से समय-समय पर उल्लेखित करें।

- (2) जिला प्राधिकार स्थायी लोक अदालत सहित तथा अनुमंडल विधिक सेवा समिति के वर्ग III तथा वर्ग IV श्रेणी के कर्मचारियों के सभी संबंधित मामलों यथा वेतन, भत्ते, हितों, पेंशन, सुविधाएँ,

हकदारियों तथा सेवानिवृति की उम्र, समाहारणालय के कर्मियों एवं कर्मचारियों के लिए लागू राज्य सरकार के झारखण्ड सेवा संहिता, एवं नियमावली, आदेश, निदेश, परिपत्र आदि से शासित होगी।

“उपरोक्त नियम, आदेश, परिपत्र अथवा निर्देश आदि में राज्य प्राधिकार द्वारा माननीय मुख्य न्यायाधीश, झारखण्ड उच्च न्यायालय के सहमति से समय समय पर संशोधन, परिवर्तन अथवा अपवादों के अधीन किया जा सकेगा ।

8. नियंत्रण एवं पर्यवेक्षण

उच्च न्यायालय विधिक सेवा प्राधिकार और जिला विधिक सेवा प्राधिकार एवं स्थाई लोक अदालत सहित स्थापना के अधिकारी एवं कर्मचारी इनके सामान्य नियंत्रण एवं पर्यवेक्षण के अलावा राज्य प्राधिकार का पर्यवेक्षण सभी कार्यालय, इकाई, राज्य में विधिक सेवा के स्थापना की समिति पर होगा।

9. पदस्थापन एवं स्थानान्तरण

तथापि किसी व्यक्ति की प्रारम्भिक नियुक्ति विधिक सेवा के स्थापना के किसी खास पद या कोई खास वर्ग, श्रेणी में हुई हो, राज्य प्राधिकार के कार्यकारी अध्यक्ष, प्रशासन के हित में या कार्यालयीन आवश्यकता में किसी भी व्यक्ति को विधिक सेवा स्थापना के समकक्ष पदों पर राज्य के किसी भी स्थान पर स्थानान्तरण या पदस्थापन कर सकते हैं। पर ऐसे स्थानान्तरण या पदस्थापन से उनकी पूर्व निर्धारित वरीयता प्रभावित नहीं होगी।

10. योग्यता:-

कोई भी व्यक्ति स्थापना के किसी पद पर नियुक्ति के योग्य नहीं होगा जब तक कि वह संबंधित अनुसूची में दर्शाये योग्यता एवं अन्य अपेक्षाओं को पूरा नहीं करता है।

11. आयु:-

“सीधी नियुक्ति हेतु अभ्यर्थी की व्यूनतम उम्र 18 वर्ष एवं अधिकतम उम्र कार्मिक विभाग के द्वारा निर्धारित अधिकतम उम्र सीमा के अनुरूप होगा। उम्र निर्धारण हेतु कट-आफ-डेट अधियाचना वर्ष की 1ली अगस्त रहेगी” (वर्तमान में कार्मिक संकल्प सं0-2096 दिनांक 25 अप्रैल, 2011 एवं 13026, दिनांक 27 नवम्बर, 2012 एवं भविष्य में कार्मिक विभाग द्वारा जारी अधिसूचना/ संकल्प/ परिपत्र के अनुरूप होगा)

12. आरक्षण:- स्थापना के विभिन्न वर्ग एवं श्रेणी के पद पर सीधी भर्ती हेतु अनुसूचित जाति/ जनजाति/अन्य पिछड़ा वर्ग /निःशक्त के लिए आरक्षण राज्य सरकार की प्रचलित नीति के अनुरूप लागू होगा ।

13. परीवीक्षा:-

(1) विधिक सेवा के स्थापना में नियुक्त व्यक्ति-चाहे उसकी नियुक्ति सीधी भर्ती द्वारा हुई है अथवा प्रोन्नति द्वारा - दो वर्ष तक, नियुक्ति की तिथि से, परीवीक्षा में रहेगा ।

- (2) नियुक्ति प्राधिकारी स्थापना में नियुक्त किसी भी अधिकारी या कर्मचारी को परिवीक्षा या विस्तारित परिवीक्षा की अवधि में उसकी सेवा को समाप्त कर सकते हैं यदि उन्हे यह संतोष हो जाये कि वह अपने कर्तव्य (duty or assignment) का निष्पादन सफलता पूर्वक नहीं किया है अथवा राज्य प्राधिकार द्वारा निर्धारित प्रशिक्षण परीक्षा को सफलता पूर्वक उत्तीर्ण नहीं किया हो।
- (3) यदि कोई व्यक्ति, जिसकी सेवा उपरोक्त निर्धारित नियम के अन्तर्गत समाप्त कर दी गई हो तो वह इसके बदले में वह किसी क्षतिपूर्ति का हकदार नहीं होगा।

14. विभागीय परीक्षा:-

उपरोक्त कोटि के चतुर्थ श्रेणी से उपर नियुक्त या नियुक्त होने वाले सभी व्यक्ति जो विधिक सेवा के स्थापना में राज्य में कहीं भी नियुक्त या नियुक्त होने वाले हैं तो उन्हें कार्मिक विभाग द्वारा जारी अधिसूचना/ संकल्प/ परिपत्र के आलोक में वार्षिक वेतनवृद्धि की स्वीकृति हेतु हिन्दी टिप्पण प्रारूपण परीक्षा में उत्तीर्ण करना होगा। (वर्तमान में कार्मिक परिपत्र सं0-39 दिनांक 6 जुलाई, 2001 एवं भविष्य में कार्मिक विभाग द्वारा जारी अधिसूचना/ संकल्प के अनुरूप होगा।)

15. वरीयता:-

विधिक सेवा के स्थापना में राज्य में कहीं भी नियुक्त या नियुक्त होने वाले कर्मियों का वरीयता निर्धारण कार्मिक विभाग के परिपत्रों के अनुरूप किया जायेगा। (वर्तमान में कार्मिक पत्रांक सं0-15784 दिनांक-26.08.1972 एवं भविष्य में कार्मिक विभाग द्वारा जारी अधिसूचना/ संकल्प के अनुरूप होगा।)

16. सम्पूर्णिः-

स्थापना के व्यक्तिगत सदस्य परिवीक्षा या विस्तारित परिवीक्षा के समाप्ति के पश्चात्, सेवा सम्पूर्णि के योग्य होगा यदि:-

1. उसका कार्य एवं आचरण संतोषप्रद रहा हो।
2. स्थापना के प्रति उसकी निष्ठा अनुचित एवं संदिग्ध न हो।
3. उसने राज्य के राजस्व पर्षद् द्वारा आयोजित आवश्यक परीक्षा में सफल हो या राज्य प्राधिकार द्वारा परिवीक्षा की अवधि सफल होने की राज्य प्राधिकार द्वारा निर्धारित शर्त में सफल हुआ हो।

17. निलंबनः-

नियुक्ति प्राधिकारी द्वारा स्थापना के किसी भी सदस्य अथवा कर्मचारी को, इस बाबत राज्य सरकार के नियमों के तहत-निलंबित कर सकें जब:-

उसके/उसकी आचरण के बारे में जाँच विचाराधीन या बाकी है।

1. उसके/उसकी विरुद्ध कोई आपराधिक दण्ड का मामला अनुसंधान में या विचाराधीन हो।
2. स्थापना का सदस्य जिसे आपराधिक आरोप या किसी अन्य प्रकार से 48 घंटा से अधिक समय तक अभिरक्षा में रखा गया हो, उसे नियुक्ति प्राधिकारी द्वारा निलंबित माना जायेगा।
3. नियुक्ति प्राधिकारी द्वारा निलंबन के आदेश को किसी भी समय समाप्त किया जा सकता है।

18. दण्ड/जुर्माना

नियुक्ति प्राधिकारी के द्वारा ठीक और पर्याप्त कारणों से निम्न दण्ड दिये जा सकेंगे:-

लघु दण्ड

1. निन्दन।
2. जुर्माना।
3. वेतनवृद्धि या प्रोन्नति रोकना।
4. राज्य को हुई किसी प्रकार के आर्थिक हानि वेतन से वसूला जाना।

वृहद् दण्ड

1. निम्नतर वेतनमान या निम्नतर पद या श्रेणी (रेंक) या वर्ग या कोटि के निम्नतर प्रक्रम पर विच्युति।
2. समय से पूर्व सेवा-निवृत्ति (अनिवार्य सेवा-निवृत्ति)।
3. सेवा से हटाया जाना, जो दोषी को आगे नियोजन पाने में अयोग्य नहीं बनाएगी।
4. सेवा से बर्खास्तगी जो आगे नियोजन पाने में अयोग्य बनाएगी।

स्पष्टीकरण

1. यदि परिवीक्षा-काल में या उसकी समाप्ति के बाद स्थापना के किसी सदस्य का सेवा समाप्त कर या जाय, तो वह इस नियम के अन्तर्गत सेवा से हटाया जाना या बर्खास्तगी नहीं समझा जाएगा।
2. यदि स्थापना के किसी पदाधिकारी या कर्मचारी के प्रोन्नति की हकदारी मामले पर सम्यक विचार करके प्रोन्नति न दिया जाए, तो वे इस नियम के अर्थान्तर्गत प्रोन्नति का रोका जाना न समझा जाएगा।

19. अपील

1. राज्य प्राधिकार के समक्ष:- यदि कोई व्यक्ति उच्च न्यायालय विधिक सेवा समिति या जिला प्राधिकार द्वारा पारित दण्ड के आदेश से असंतुष्ट है तो वह 180 दिनों के भीतर राज्य प्राधिकार के समक्ष अपील दाखिल कर सकता है।

राज्य प्राधिकार असंतुष्ट व्यक्ति द्वारा पर्यास कारण दिखाये जाने पर पुनः 30 दिनों के समय की वृद्धि उपर्युक्त अपील दाखिल करने का समय दे सकती है।

2. माननीय मुख्य न्यायाधीश के समक्ष:- यदि कोई व्यक्ति राज्य प्राधिकार द्वारा पारित दण्ड के आदेश से असंतुष्ट है तो वह 30 दिनों के भीतर उच्च न्यायालय के माननीय मुख्य न्यायाधीश के समक्ष अपील दाखिल कर सकता है जो वैसे अपील को खुद सुनेंगे या उसे कम से कम दो माननीय न्यायाधीशों के समिति के समक्ष सौंप सकते हैं जो अपील का निपटारा ऐसे ढंग से कर सकते हैं जो कि माननीय मुख्य-न्यायाधीश के द्वारा निर्धारित हो।

माननीय मुख्य न्यायाधीश द्वारा पर्यास कारण दिखाये जाने पर पुनः 30 दिनों के समय की वृद्धि उपर्युक्त अपील दाखिल करने का समय दे सकती है।

20. सीधी नियुक्ति, पदोन्नति, स्थानापन्न या सामंजन:-

इन नियमों के उद्देश्य को प्राप्त करने के लिए एवं इन नियमों के प्रावधानों को लागू करने के लिए, राज्य प्राधिकार के कार्यकारी अध्यक्ष, उच्च न्यायालय के मुख्य न्यायाधीश के परामर्श पर समय-समय पर प्रशासनिक आदेश निर्गत करेंगे जो संबंधित होगा -

1. सीधी नियुक्ति हेतु प्रक्रिया (नियमित वा अस्थायी या अनुबंध पर परीक्षा लेने सहित एवं इच्छुक अभ्यर्थी द्वारा देय परीक्षा शुल्क
2. विभागीय पदोन्नति देने की पद्धति
3. परिवीक्षा की अवधि की समाप्ति हेतु विशेष परीक्षा या उपयुक्ता परीक्षा का निर्धारण।
4. सीधी नियुक्ति या प्रोन्नति के द्वारा भरे जाने वाला किसी पद के लिए अतिरिक्त योग्यता या उपयुक्ता का निर्धारण अथवा कोई योग्यता या अनुभव की छूट।
5. किसी समिति का गठन और उसके सदस्यों के उपरोक्त किसी उद्देश्य के लिए।
6. उच्चतर पदों पर प्रोन्नति में राज्य सरकार के स्थापित नियम यथा कालावधि/ आरक्षण रोस्टर संबंधी प्रावधान प्रभावी होंगे । ''(वर्तमान में कालावधि के प्रावधान विभागीय संकल्प संख्या 3286, दिनांक 04 अप्रैल, 2014/ 10483, दिनांक 24 अक्टूबर, 2014, 2621, दिनांक 20 मार्च, 2015 व आरक्षण रोस्टर के प्रावधान कार्मिक का संकल्प ज्ञापांक-1072, दिनांक 17 फरवरी, 2009 एवं भविष्य में कार्मिक विभाग द्वारा जारी अधिसूचना/ संकल्प के अनुरूप होगा)

21. अवशिष्ट विषय

ऐसे सभी विषय जिसमें विधिक सेवा स्थापना के सदस्यों की सेवा शर्तों, उनका आचरण और अनुशासन शासित विषय सहित जिनके सम्बन्ध में इस नियमावली में विनिर्दिष्टः उपबंध नहीं किये गये हैं, तो स्थापना के सदस्य विधि, नियमावली, विनियमन या मानदंडों से विनियमित होंगे जो कि सामान्य रूप से राज्य सरकार के कर्मचारियों के लिए लागू होंगे, जहां तक वे असंगत या इस नियमावली के विरुद्ध नहीं होंगे।

22. निर्वचन

यदि इस नियमावली के निर्वचन अथवा प्रयोज्यता से सम्बधित कोई प्रश्न और विवाद उत्पन्न होता है तो उन विवादों एवं प्रश्नों पर राज्य प्राधिकार का निर्णय अंतिम होगा।

23. नियम में संशोधन:-

राज्य सरकार को उच्च न्यायालय के माननीय मुख्य न्यायाधीश के परामर्श पर इन नियमों, अनुसूची सहित संशोधन करने का अधिकार होगा।

24. शिथिलता:-

राज्य प्राधिकार समय-समय पर व्यक्तिगत मामलों में या कोई वर्ग या समूह के मामलों में उच्च न्यायालय के माननीय मुख्य न्यायाधीश, राज्य सरकार का परामर्श प्राप्त कर, कोई शर्त या आवश्यकता, जो उम्र, योग्यता या न्यूनतम अनुभव, से सम्बन्धित जो इस नियम के तहत निर्धारित है या कि जा सकती है, को शिथिल कर सकता है।

25. अंतरिम प्रावधान:-

बढ़ते हुए काम के भार से निपटने के लिए या आकस्मिकता स्थिति में, राज्य प्राधिकार, चतुर्थ श्रेणी के दो व्यक्ति तक की सेवा राज्य प्राधिकार के स्थापना में, बाहर से लेने के लिए (आठट सोर्स) सक्षम होगी, परन्तु इस विषय पर राज्य में परिचलित नीति एवं परिपत्रों का ध्यान रखा जायेगा।

(2) प्रस्ताव पर मंत्रिपरिषद् की दिनांक 23 फरवरी, 2016 को संपन्न बैठक में मद संख्या-14 के रूप में स्वीकृति प्राप्त है।

(संचिका संख्या बी०/ए-विधि-स्था०-०६/२०१३-**४७८**/जे०)

झारखण्ड राज्यपाल के आदेश से,

बी० बी० मंगलमूर्ति,

प्रधान सचिव-सह-विधि परामर्शी ।

अनुसूची

विधिक सेवा की स्थापना, पद क्रम, स्नोत, योग्यता और भर्ती का तरीका उच्चतर पदों पर प्रोन्नति में राज्य सरकार के स्थापित नियम यथा कालावधि/ आरक्षण रोस्टर संबंधी प्रावधान प्रभावी होंगे। “वर्तमान में कालावधि के प्रावधान विभागीय संकल्प संख्या 3286, दिनांक 04.04.2014/ 10483, दिनांक 24.10.2014, 2621, दिनांक- 20.03.2015 व आरक्षण रोस्टर के प्रावधान कार्मिक का संकल्प ज्ञापांक-1072, दिनांक 17.02.2009 एवं भविष्य में कार्मिक विभाग द्वारा जारी अधिसूचना/संकल्प के अनुरूप होगा।

(ए) झारखण्ड राज्य विधिक सेवा प्राधिकार (झालसा)					
(ए) नियमित पद					
1	2	3	4	5	6
क्रमांक	पद का नाम	वर्ग श्रेणी	वेतनमान ग्रेड पे के साथ	नियुक्ति अथवा भर्ती का तरीका	सीधी भर्ती अन्य योग्यता
1.	अवर सचिव (गैर न्यायिक)	I	15600-39100 (6600)	प्रोन्नति द्वारा	
2.	प्रशास्ता पदाधिकारी	II	9300-34800 (4800)	प्रोन्नति द्वारा (50 प्रतिशत वरीयता एवं 50 प्रतिशत सहायकों की सीमित प्रतियोगिता परीक्षा के द्वारा)	
3.	सहायक	II (गैर राजपत्रित)	9300-34800 (4600)	75 प्रतिशत सीधी भर्ती द्वारा, 25 प्रतिशत उच्च वर्गीय लिपिक से प्रोन्नति द्वारा।	स्नातक कम्प्यूटर अनुपयोग तथा कम्प्यूटर टंकण की जानकारी होनी चाहिए।
4.	प्रधान आस सचिव	I	15600-39100 (6600)	प्रोन्नति द्वारा	
5.	वरीय निजी सहायक/ आस सचिव	II	9300-34800 (4800)	प्रोन्नति द्वारा	
6.	निजी सहायक	II (गैर राजपत्रित)	9300-34800 (4600)	प्रोन्नति द्वारा	
7.	स्टेनोग्राफर	III	5200-20200 (2400)	सीधी भर्ती द्वारा	स्नातक आवेदक को

					आशुलिपि तथा टंकण गति 80 शब्द प्रति मिनट क्रमशः होनी चाहिए। उसे कम्प्यूटर अनुप्रयोग तथा कम्प्यूटर टंकण की जानकारी होनी चाहिए।
8.	लाइब्रेरियन	III	9300-34800 (4200)	सीधी भर्ती द्वारा	किसी मान्यता प्राप्त विश्वियालय से स्नातक पुस्तकालय विज्ञान में डिग्री एवं किसी स्थित पुस्तकालय में काम करने का व्यावहारिक अनुभव का एक अतिरिक्त योग्यता
9.	वरीय लेखापाल	II	9300-34800 (4800)	प्रोन्नति द्वारा	

10.	लेखापाल सह बजट प्लानर	III	5200-20200 (2800)	प्रोन्नति द्वारा	
11.	लेखापाल	III	5200-20200 (2400) यदि पदधारी कर्मचारी की शैक्षणिक योग्यता बी. कॉम. <i>with Advance Accounting and Auditing</i> हो तो उसे रूपये 9300-34800 (4200) का वेतनमान देय होगा। (यह व्यवस्था कार्मिक, प्रशासनिक सुधार एवम् राजभाषा विभाग झारखण्ड सरकार के संकल्प संख्या 3286 दिनांक 04.04.14 के अनुरूप होगी)	सीधी भर्ती द्वारा	बी.कॉम. लेखा एवं अंकेक्षण का किसी सरकारी /अर्द्धसरकारी / निजी अथवा कारपोरेट कार्यालय में 3 वर्ष या अधिक का अनुभव रखनेवाले आवेदकों को प्राथमिकता दी जाएगी।
12.	उच्च वर्गीय लिपिक	III	5200-20200 (2400)	50% सीधी भर्ती 50% निम्न वर्गीय लिपिक से प्रोन्नति द्वारा	स्नातक
13.	निम्न वर्गीय लिपिक	III	5200-20200(1900)	50% सीधी भर्ती 50% चतुरथ वर्ग के कर्मचारियों में से वरीयता के आधार पर पदोन्नति द्वारा	इंटरमेडियेट+2
14.	टेलिफोन/फै क्स आपरेटर	IV	5200-20200 (1900)	चतुरथ वर्ग के कर्मचारियों में से वरीयता के आधार पर पदोन्नति द्वारा	

15.	ચાલક	IV	5200-20200 (1900)	સીધી ભર્તી દ્વારા।	1) મૈટ્રિક અથવા સમકક્ષ ડિગ્રી 2) એલ.એમ.ડી. કે લિએ વૈધ વ્યવસાયિક ડી.એલ. 3) કિસી સંસ્થાન મેં વ્યવસાયિક વાહન ચલાને કા 3 વર્ષ કા અનુભવ 4) ડ્રાઇવિંગ જાંચ મેં ઉતીર્ણ હોના આવશ્યક ।
16.	ટ્રેજરી સરકાર	IV	5200-20200 (1800)	સીધી ભર્તી દ્વારા।	મૈટ્રિક, સાઈકિલ ચલાને કા જાન
17.	કેયરટેકર	IV	5200-20200 (1800)	ચતુર્થ વર્ગ કે કર્મચારીઓ મેં સે વરીયતા કે આધાર પર પદોન્નતિ અથવા ઊપરોક્ત કે અભાવ મેં સીધી ભર્તી દ્વારા।	મૈટ્રિક, સાઈકિલ ચલાને કા જાન
18.	ચપરાસી	IV	5200-20200 (1800)	સીધી ભર્તી દ્વારા।	મૈટ્રિક, સાઈકિલ ચલાને કા જાન
19.	રાત્રિ પ્રહરી	IV	5200-20200 (1800)	સીધી ભર્તી દ્વારા।	મૈટ્રિક, સાઈકિલ ચલાને કા જાન
(બી અનુબંધ આધારિત પદ)					
20.	ચપરાસી	IV	5200-20200 (1800)	મૈટ્રિક, સાઈકિલ ચલાને કા જાન	
21.	ગાર્ડ	IV	5200-20200 (1800)	મૈટ્રિક, સાઈકિલ ચલાને કા જાન	
22.	માલી	IV	5200-20200 (1800)	મૈટ્રિક, સાઈકિલ ચલાને કા જાન, ગાર્ડનિંગ મેં નિપુણતા,	
23.	સ્વીપર	IV	5200-20200 (1800)	મૈટ્રિક, સંબંધિત કાર્ય મેં નિપુણતા	

बी०) उच्च न्यायालय विधिक सेवा समिति (एच०सी०एल०एस०सी०)					
1	2	3	4	5	6
क्रमांक	पद का नाम	वर्ग श्रेणी	वेतनमान ग्रेड पे के साथ	नियुक्ति अथवा भर्ती का तरीका योग्यता	सीधी भर्ती अन्य योग्यता
1.	प्रशाखा पदाधिकारी	II	9300-34800 (4800)	तृतीय वर्ग कर्मचारियों में से मेधा-सह-वरीयता और कोई विभागीय परीक्षा पास करने पर जैसे कि निर्धारित के आधार पर प्रोन्नति	
2.	निजी सहायक	II	9300-34800 (4600)	सीधी भर्ती से	स्नातक आयेदक को आशुलिपि तथा टंकण गति 100 शब्द प्रति मिनट क्रमशः होनी चाहिए। उसे कम्प्यूटर अनुप्रयोग तथा कम्प्यूटर टंकण की जानकारी होनी चाहिए।
3.	सहायक	II (गैर राजपत्रित)	9300-34800 (4600)	सीधी भर्ती से	स्नातक कम्प्यूटर अनुप्रयोग तथा कम्प्यूटर टंकण की जानकारी होनी चाहिए।
4.	टंकक	III	5200-20200 (1900)	सीधी भर्ती से	इंटरमेडियेट+2
5.	लेखापाल	III	5200-20200 (2400)	सीधी भर्ती से	बी.कॉम.
6.	चालक	IV	5200-20200 (1900)	सीधी भर्ती से	1) मैट्रिक अथवा समकक्ष डिग्री 2) एल.एम.वी. के लिए वैध व्यावसायिक डी.एल. 3) किसी संस्थान में व्यवसायिक वाहन चलाने का 3 वर्ष का अनुभव 4) इंडिविंग जांच में उत्तीर्ण होना आवश्यक।
7.	चपरासी	IV	5200-20200 (1800)	सीधी भर्ती से	मैट्रिक

सी०) जिला विधिक सेवा प्राधिकार (डीएलएसए)					
1	2	3	4	5	6
क्रमांक	पद का नाम	वर्ग श्रेणी	वेतनमान ग्रेड पे के साथ	नियुक्ति अथवा भर्ती का तरीका	सीधी भर्ती अन्य योग्यता
1.	प्रधान लिपिक/अधी क्षक	III	9300-34800 (4200)	तृतीय वर्ग कर्मचारियों में से मेधा-सह-वरीयता और कोई विभागीय परीक्षा पास करने पर जैसे कि निर्धारित है, के आधार पर प्रोन्नति अथवा उपर्युक्त के अनुपस्थिति में, संबंधित व्यवहार न्यायालय का कर्मचारियों में से उपर्युक्त कर्मचारी के पदस्थापन के द्वारा।	
2.	उच्च वर्गीय लिपिक	III	5200-20200 (2400)	75% सीधी भर्ती से 25% निम्न वर्गीय लिपिक से प्रोन्नति द्वारा	स्नातक
3.	निम्न वर्गीय लिपिक	III	5200-20200 (1900)	75% सीधी भर्ती से 25% चतुर्थ वर्ग से प्रोन्नति द्वारा	इंटरमेडियेट+2
4.	आशुलिपिक	III	5200-20200 (2400)	सीधी भर्ती से	स्नातक आवेदक को आशुलिपि तथा टंकण गति 80 शब्द प्रति मिनट क्रमशः होनी चाहिए। उसे कम्प्यूटर अनुप्रयोग तथा कम्प्यूटर टंकण की जानकारी होनी चाहिए।
5.	चपरासी	IV	5200-20200 (1800)	सीधी भर्ती से	मैट्रिक, साईकिल चलाने का ज्ञान
6.	प्रोसेस सर्वर	IV	5200-20200 (1800)	सीधी भर्ती से	मैट्रिक, साईकिल चलाने का ज्ञान
7.	स्वीपर	IV	5200-20200 (1800)	सीधी भर्ती से	मैट्रिक, संबंधित कार्य में निपुणता

डी०) अनुमंडल विधिक सेवा समिति (एसडीएलएससी)					
1	2	3	5	6	7
क्रमांक	पद का नाम	वर्ग श्रेणी	वेतनमान ग्रेड पे के साथ	नियुक्ति अथवा भर्ती का तरीका योग्यता	सीधी भर्ती अन्य योग्यता
1.	निम्न वर्गीय लिपिक	III	5200-20200 (1900)	सीधी भर्ती से	इंटरमेडियेट+2
2.	चपरासी	IV	5200-20200 (1800)	सीधी भर्ती से	मैट्रिक
3.	प्रोसेस सर्वर	IV	5200-20200 (1800)	सीधी भर्ती से	मैट्रिक
4.	स्वीपर	IV	5200-20200 (1800)	सीधी भर्ती से	मैट्रिक, संबंधित कार्य में निपुणता

ई०) स्थायी लोक अदालत (पी०एल०ए०)					
1	2	3	5	6	7
क्रमांक	पद का नाम	वर्ग श्रेणी	वेतनमान ग्रेड पे के साथ	नियुक्ति अथवा भर्ती का तरीका योग्यता	सीधी भर्ती अन्य योग्यता
1.	निम्न वर्गीय लिपिक	III	5200-20200 (1900)	सीधी भर्ती से	इंटरमेडियेट+2
2.	चपरासी	IV	5200-20200 (1800)	सीधी भर्ती से	मैट्रिक
3.	प्रोसेस सर्वर	IV	5200-20200 (1800)	सीधी भर्ती से	मैट्रिक

झारखण्ड राज्यपाल के आदेश से,
बी० बी० मंगलमूर्ति,
प्रधान सचिव-सह-विधि परामर्शी,
विधि (विधान) विभाग] झारखण्ड] राँची ।

झारखण्ड राजकीय मुद्रणालय, राँची द्वारा प्रकाशित एवं मुद्रित,
झारखण्ड गजट (असाधारण) 198—50 ।